



निगरानी क्रमांक / 2013

(25)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर क्र० ३८४५

1. लालू पिता सज्जनसिंह जी ठाकूर
आयु 72 वर्ष लगभग, व्यवसाय—कृषि,
निवासी—ग्राम बांगरोद तह. व जिला रतलाम
2. कबू पिता रंजीतसिंह जी ठाकूर,
आयु 50 वर्ष लगभग, व्यवसाय—कृषि एवं अध्यापक
निवासी—बांगरोद तह. व जिला रतलाम

.....प्रार्थीगण

वि रु द्ध

1. मांगीलाल पिता स्व. रामकिशन जी धाकड़, आयु 42 वर्ष,
ईश्वरलाल पिता स्व. रामकिशन जी धाकड़, आयु 40 वर्ष,
मैरूलाल पिता स्व. रामकिशन जी धाकड़, आयु 50 वर्ष,
सोहनलाल पिता स्व. रामकिशन जी धाकड़, आयु 38 वर्ष,
नर्मदाबाई पति स्व. रामकेशन जी धाकड़, आयु 75 वर्ष,
समस्त व्यवसाय—कृषि,
- समस्तनिवासीयान—बांगरोद तह. व जिला रतलाम

.....प्रतिप्रार्थीगण

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता //

मान्यवर महोदय,

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतलाम ग्रामीण पीठारीन तहसीलदार श्री विरेन्द्र कटारे के द्वारा प्रकरण क्रमांक-4/अ-13/12-13 में दिनांक 08.07.2013 को पारित आदेश से दुःखी होकर अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत हैं:-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह हैं कि प्रतिप्रार्थीगण ने ग्राम बांगरोद में स्थित उनके आवेदन में दर्शाई गई कृषि भूमि पर आने-जाने के रास्ते के संबंध में प्रश्नाधिन प्रकरण धारा 131 म.प्र. भू—राजस्व संहिता में प्रस्तुत किया, जिसका उत्तर प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया व स्पष्ट प्रकट किया कि प्रतिप्रार्थीगण के आने-जाने का रास्ता बांगरोद रेल्वे स्टेशन से लगकर अत्यंत सुविधाजनक मौजूद है, और उसका उपयोग प्रतिप्रार्थीगण विगत कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, तथा अब

(26)

R. 3707-13

पूलाम मेहमान Rd
Dmअप्रैल प्रतिप्रार्थीगण
दोषी. ३ एप्रैल १३
काज द्वारा १७-१३
पूर्ण प्रार्थी १०-१३(27)
7-10-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3707-एक/13

जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७.१०.१८ को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p></p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	